न्यायालय

बनाम

भुक्तभोगी संख्या / वर्ष 74/2024 /20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	23/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रतिवादी सं० 4 उपस्थित। प्रार्थी वक्तव्य आदेश 09R13 CPC स्वीकार है। पत्रावली बास्ते आदेश दिनांक 23/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	23/8/24	पत्रावली पेश [illegible] आदेश [illegible] है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 27/8/24 को पेश हो।	
	27/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व [illegible] सं० 4 उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी सं०2 ने अपनी वक्तव्य में आदेश 09R13 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना 09R13 CPC को स्वीकार कर एकतरफा डिक्री के अपास्त किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का पूर्व वाद/रिकार्ड व तामील का आदेश 9R13 का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी के वक्तव्य पर भरोसा करते पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बाद में तामील द्वारा न्यायालय से जारी रजिस्टर्ड डाक के लिफाफे डाकघर के रिकार्ड दिनांक 10/11/2022 पेश करने के अपरान्त प्रतिवादी के एकपक्षीय पारित डिक्री (समझौता) दिनांक 20/11/2023 को की गई। प्रतिवादी सं०2 वास्तव रजिस्टर्ड नोटिस डाक प्राप्त के अनुपस्थित रहे। अतः प्रतिवादी सं०2 के एकपक्षीय पारित डिक्री सम्मत की गई है। प्रतिवादी सं० 2 वास्तव रजिस्टर्ड	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

बनाम

74/2024

आज्ञा वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	के अनुपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना 09R13 CPC स्वीकार किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:40:26 IST
Reason: SelfAttested